



Active Clothing Co. Limited

To,
BSE Limited
Listing Compliance
P J Towers, Dalal Street,
Mumbai - 400001, India.

Dated: 27.08.2024

Dear Sir/Madam,

Ref.: ISIN - INE380Z01015
Subject: Notice of Annual General meeting

Please find enclosed herewith copies of newspaper advertisements published in the columns of Business Standard English, Chandigarh and Business Standard Hindi, Chandigarh on 26.08.2024, regarding notice of 22nd Annual General Meeting of Active Clothing Co Limited.

Request you to kindly take the same on record.

Thanking You,

Yours Faithfully,
For Active Clothing Co Ltd.

Rajesh
Kumar Mehra

Digitally signed by
Rajesh Kumar Mehra
Date: 2024.08.27
11:55:59 +05'30'

Rajesh Kumar Mehra
(Managing Director)

CIN: L51311PB2002PLC033422

REGISTERED OFFICE:
Plot No. E-225, Industrial Focal Point, Phase 8 B
SAS Nagar, Mohali 160059
Punjab, India. Phone: +91-172-4313300

FACTORY :
Village Badali Ala Singh, Ghel Link Road
District Fatehgarh Sahib 140406, Punjab, India
Phone: +91-1763-506000

2 कंपनी समाचार

संक्षेप में

आरईसी का जेएनपीए के साथ समझौता

रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन (आरईसी) लिमिटेड ने जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण (जेएनपीए) के साथ कई आगामी परियोजनाओं की वित्तीय सहायता के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया है। इस करार के तहत आरईसी वधावन बंदरगाह के विकास समेत जेएनपीए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 45,000 करोड़ रुपये तक की धनराशि प्रदान करने पर विचार कर रही है। आरईसी ने बयान में कहा कि इस समझौते का उद्देश्य जेएनपीए और आरईसी के बीच सहयोग के लिए रूरेखा स्थापित करना है, जिसके तहत जेएनपीए अपनी विशेषज्ञता के बुनियादी ढांचा क्षेत्र में परियोजनाओं को लागू करेगी।

बीएस

कैंडीटॉय : 450 करोड़ रु. के कारोबार की उम्मीद

कैंडीटॉय कॉरपोरेट ने अगले वित्त वर्ष तक करीब 450 करोड़ रुपये के कारोबार का लक्ष्य रखा है। कंपनी ने हिस्सा बेचकर 90 करोड़ रुपये तक जुटाने की योजना भी बनाई है। कंपनी के संस्थापक गौरव मीरचंडा ने यह बात कही है। कैंडीटॉय कोलागेट, प्यूमा, एमटीआर, बॉर्निविटा, गेलो डायमंड्स, विस्तारा एयरलाइंस और एयरएशिया जैसी कंपनियों के लिए कैंडी खिलौने बनाती है।

भाषा

आरआईएल की इस सप्ताह आयोजित होने वाली एजीएम पर रहेगी बाजार की निगाह

नवीन ऊर्जा पर रहेगा ध्यान!

अमृता पिल्लै
मुंबई, 25 अगस्त

इस सप्ताह रिलायंस इंडस्ट्रीज की सालाना आम बैठक (एजीएम) में शेयरधारकों को उम्मीद है कि एशिया के सबसे अमीर अरबपति मुकेश अंबानी अपने संबोधन में शेयर बाजार को नवीन ऊर्जा तथा खुदरा और दूरसंचार के मामले में सूचीबद्धता की समयसीमा के बारे में ज्यादा स्पष्टता बताएंगे और घोषणाएं करेंगे। आगामी गुरुवार को आरआईएल की वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये 47वीं एजीएम होगी। अंबानी परिवार की अगली पीढ़ी को गैर-कार्यकारी भूमिका में निदेशक मंडल में शामिल किए जाने के बाद की पहली यह एजीएम है।

कंपनी के बारे में अपने नोट में बर्नस्टीन के विश्लेषकों ने कहा, 'हमें उम्मीद है कि एजीएम में जियो और रिलायंस टिेल की संभावित लिस्टिंग पर ध्यान होगा। नवीन ऊर्जा परियोजनाओं की शुरुआत की समयसीमा पर भी ध्यान दिया जा सकता है।' बोफा सिक्योरिटीज के विश्लेषकों ने कहा कि उन्हें नवीन ऊर्जा कारोबार के



संबंध में विस्तृत कारोबारी जानकारी दिए जाने की उम्मीद है क्योंकि आरआईएल का ध्यान अगले 12 महीने में नई ऊर्जा विनिर्माण इकाइयों को चालू करने और साथ ही साथ स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने पर है। पिछली एजीएम में शेयरधारकों को अपने संबोधन में कंपनी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक अंबानी ने संकेत दिया था कि कंपनी साल 2025 में हरित हाइड्रोजन की दिशा में क्रमिक बदलाव की शुरुआत करेगी। नवीन ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र इस बदलाव का हिस्सा है और सोलर पीवी गीगा

कारखाना इस केलेंडर वर्ष में चरणबद्ध तरीके से परिचालन शुरू करने वाला है। कोटक के विश्लेषकों ने कहा कि पहले तीन साल में नवीन ऊर्जा तंत्र में 10 अरब डॉलर निवेश की शुरुआती योजना की तुलना में यह प्रगति धीमी लगती है जिसमें अब तक दो अरब डॉलर का कुल निवेश किया गया है। उन्होंने कहा, 'चूंकि नवीन ऊर्जा एक नया क्षेत्र है और शुरुआती सीख की जरूरत है। इसलिए पूंजीगत व्यय की रफ़्तार धीरे-धीरे बढ़ेगी।' इसके अलावा बोफा के विश्लेषकों को खुदरा कारोबार के मोर्चे पर भी घोषणाओं की उम्मीद है। उन्होंने कहा, 'विभिन्न प्रारूपों पर नई जानकारी के अलावा हमें फास्ट फैशन के संबंध में

बाजार का अनुमान

■ नवीन ऊर्जा कारोबार पर मिलेगी विस्तृत जानकारी

■ क्विक-कॉमर्स के लिए हाइपर-लोकल रणनीति का चलोणा पता

■ दूरसंचार/खुदरा क्षेत्र के आईपीओ की समयसीमा के बारे में बताया जाएगा

■ निदेशक मंडल के सदस्यों के रूप में अंबानी की अगली पीढ़ी की होगी यह पहली एजीएम

एएसओएस और शीन जैसे वैश्विक कंपनियों के साथ साझेदारी पर नई जानकारी मिलने के आसार हैं। चूंकि आरआईएल क्विक कॉमर्स कारोबार में फिर से प्रवेश पर विचार कर रही है, इसलिए हम हाइपरलोकल रणनीति पर नई जानकारी की संभावना भी देख रहे हैं।' ब्रोकरेज फर्म ने यह भी कहा, 'हालांकि हमें एजीएम जैसे मंच पर संभावित आईपीओ के संबंध में किसी भी ब्यापक या विस्तृत जानकारी की उम्मीद नहीं है, लेकिन यह देखा जा सकता है कि ब्यापक या विस्तारित समयसीमा के लिहाज से कोई सामान्य जानकारी सुनने को मिलेगी।'

सेबी की कार्रवाई के बाद विकल्पों की समीक्षा कर रहे अनिल अंबानी

बीएस संवाददाता
मुंबई, 25 अगस्त

रिलायंस एडीएजी समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी सेबी की कार्रवाई के बाद कानूनी विकल्पों की समीक्षा कर रहे हैं। बाजार नियामक ने उनको शेयर बाजार से प्रतिबंधित करते हुए उन पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। अनिल अंबानी पर यह कार्रवाई रिलायंस होम फाइनेंस (रिलायंस कैपिटल की पूर्व सहायक) से रकम की कथित हेराफेरी के मामले में हुई है।

एक बयान में अंबानी के प्रवक्ता ने कहा कि रिलायंस होम फाइनेंस के मामले में सेबी के 11 फरवरी, 2022 के अंतरिम आदेश के बाद उन्होंने रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर के निदेशक मंडल से



इस्तीफा दे दिया था और पिछले ढाई साल से उस अंतरिम आदेश का अनुपालन कर रहे हैं। बयान के अनुसार अंबानी इस मामले में 22 अगस्त के कारोबारी अतिथि आदेश की समीक्षा कर रहे हैं और कानूनी सलाह के मुताबिक उचित कदम उठाएंगे। एक अलग बयान में रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर ने कहा कि कंपनी सेबी की इस कार्यवाही में नोटिस पाने वाली या पक्षकार नहीं थी। बयान के अनुसार रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ कोई निदेश नहीं दिया गया है। इस कार्यवाही के तहत 11 फरवरी, 2022 को जारी अंतरिम आदेश के बाद अनिल अंबानी ने आर इन्फ्रा के निदेशक मंडल से इस्तीफा दे

दिया था। इसलिए सेबी के 22 अगस्त के आदेश से आर इन्फ्रा के कारोबार और गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। ऐसे ही एक बयान में रिलायंस पावर ने कहा कि जिस मामले में सेबी ने आदेश पारित किया है, उसमें उसे न तो नोटिस मिला था और न ही वह पक्षकार थी। रिलायंस पावर के खिलाफ कोई निदेश नहीं दिया गया है। 11 फरवरी, 2022 के अंतरिम आदेश के बाद अनिल अंबानी ने रिलायंस पावर के निदेशक मंडल से इस्तीफा दे दिया था। इसलिए 22 अगस्त को जारी सेबी के आदेश का कंपनी के कारोबार व गतिविधियों पर कोई असर नहीं पड़ा है।

22 अगस्त को बाजार नियामक सेबी ने रिलायंस होम फाइनेंस (आरएचएफएल) से कथित तौर पर धन की हेराफेरी के आरोप में अनिल अंबानी, उनके समूह की फर्मों और उनके पूर्व निदेशकों समेत 27 इकाइयों और व्यक्तियों पर 624 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। 22 अगस्त को बाजार नियामक ने अनिल अंबानी और अन्य को शेयर बाजार से भी पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है।

‘नौकरियों सृजित करने की जरूरत’

ओला संस्थापक भावीश अग्रवाल भारत को वर्तमान वैश्विक तकनीकी बदलाव में सबसे आगे रखने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके साथ ही उनका लक्ष्य देश में बड़ी संख्या में भविष्य की नौकरियों का सृजन करना भी है। इसके लिए वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) पर भी जोर दे रहे हैं। अग्रवाल ने कहा कि निजी क्षेत्र को रोजगार सृजन का बड़ा काम करना है। इसके लिए एक सक्षम परिवेश बनाना और असंतुलन को ठीक करना सरकार की जिम्मेदारी है। अग्रवाल ने नई ईवी नीति के माध्यम से टेस्टला सहित वैश्विक ईवी विनिर्माताओं को राजकोपीय प्रोत्साहन देने के सरकार के कदम को भी समर्थन दिया और कहा कि भारत के लिए सभी प्रकार के निवेश को आकर्षित करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वैश्विक रूप से स्थापित कंपनी मदद करेगी। समूह की नई सूचीबद्ध इकाई ओला इलेक्ट्रिक का लक्ष्य भारत को वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) केंद्र बनाना है, लेकिन देश को अपनी जरूरतों के आधार पर खुद के लिए ईवी और ऊर्जा बदलाव की नीति बनानी होगी।

भाषा

सैटेलाइट के वर्चस्व पर जियो व वनवेब के बीच लगी होड़

सुरजीत दास गुप्ता
नई दिल्ली, 25 अगस्त

स्पेक्ट्रम की मौजूदा लड़ाई में नया घटनाक्रम सामने आया है। ग्राहक संख्या के लिहाज से देश की सबसे बड़ी दूरसंचार सेवा प्रदाता रिलायंस जियो ने सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटन पर वनवेब से अलग रुख अपनाया है। जियो ने नियामक को पत्र लिखकर तर्क दिया है कि दूरसंचार अधिनियम, 2023 में सैटेलाइट परिचालकों के लिए प्रशासनिक आवंटन ही असाइनमेंट का एकमात्र अनिवार्य तरीका नहीं है।

जियो ने तर्क दिया है कि इस अधिनियम में ऐसे प्रावधान शामिल हैं जो सरकार को प्रथम अनुसूची में संशोधन का अधिकार देते हैं जिसमें फिलहाल ऐसी सेवाएं सूचीबद्ध हैं, जहां स्पेक्ट्रम को प्रशासनिक रूप से आवंटित किया जा सकता है। इनमें सैटेलाइट से वैश्विक मोबाइल व्यक्तिगत संचार (जीएमपीसीएस) शामिल हैं। 16 अगस्त को अपने जवाब में जियो ने एक हितधारक के इस दावे को खारिज कर दिया कि सैटेलाइट परिचालकों को प्रशासनिक रूप से स्पेक्ट्रम का आवंटन जारी रहना चाहिए।

इससे पहले सुनील मित्तल की वनवेब ने इस बात पर जोर दिया था कि सैटेलाइट परिचालकों के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन प्रशासनिक रूप से किया जाना चाहिए, जैसा कि अधिनियम में कहा गया है। इस तरह जियो के साथ उसका सीधा टकराव हो सकता है। नए दूरसंचार अधिनियम में पहली अनुसूची में 19 सेवाएं सूचीबद्ध हैं जहां स्पेक्ट्रम को प्रशासनिक रूप से आवंटित किया जा सकता है। शुरुआत में मसौदे के चरण के दौरान जीएमपीसीएस इस अनुसूची का हिस्सा नहीं था। सितंबर 2021 में दूरसंचार विभाग ने सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी के तौर-तरीकों के मसले को नियामक के सामने रखा था। अप्रैल 2023 में भारतीय दूरसंचार



■ रिलायंस जियो ने सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटन पर वनवेब से अलग रुख अपनाया है

■ वनवेब ने इस बात पर जोर दिया था कि सैटेलाइट परिचालकों के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन प्रशासनिक रूप से किया जाना चाहिए

नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटित करने के सबसे अच्छे उपाय - नीलामी, प्रशासनिक तरीके या अन्य दृष्टिकोण के जरिये- का पता लगाने के लिए परामर्श पत्र जारी किया था। इस तरह मामला अनसुलझा छोड़ दिया गया।

21 जून, 2024 को दूरसंचार विभाग ने ट्राई को एक अन्य संदर्भ भेजा, जिसमें इस अधिनियम के तहत दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए कंपनियों को अधिकृत करने के लिए नियम, शर्तों, फीस या शुल्क पर सिफारिशें मांगी गई थीं।

दूरसंचार अधिनियम के तहत सेवा अधिकारों के मसौदे के संबंध में ट्राई के परामर्श पत्र के अपने जवाब में जियो ने बताया कि इस अधिनियम की धारा 4(5)(ए) के तहत केंद्र सरकार के पास इन तीन मानदंडों के आधार पर स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए पहली अनुसूची में संशोधन करने का अधिकार है - सार्वजनिक हित की सेवा करना, सरकारी कार्य करना और ऐसी स्थितियां जहां 'तकनीकी और आर्थिक' कारणों से नीलामी को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। इसके अलावा धारा 57(1) के तहत सरकार के पास पहली अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति है।

बीना मोदी की पुनर्नियुक्ति के खिलाफ सिफारिश

अमेरिका स्थित प्रॉक्सि सलाहकार कंपनी ग्लॉस लुईस ने गॉडफ्रे फिलिप्स के शेयरधारकों को सलाह दी है कि वे 6 सितंबर को होने वाली वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में बीना मोदी को प्रबंध निदेशक के रूप में दोबारा नियुक्त करने के विशेष प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करें। ग्लॉस लुईस ने निदेशक मंडल में मसौदे मोदी की उपस्थिति का समर्थन किया है। एजीएम में शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए पांच साधारण प्रस्ताव और एक विशेष प्रस्ताव रखा गया है। चूंकि बीना मोदी का पारिश्रमिक पांच करोड़ रुपये या कंपनी के शुद्ध लाभ के 2.5 प्रतिशत की सीमा से अधिक है, इसलिए गॉडफ्रे फिलिप्स को विशेष प्रस्ताव की आवश्यकता है, जिसे मुक्त डाले गए मतों के 75 प्रतिशत के बहुमत से पारित किया जाना है।

भाषा

एक्टिव क्लोथिंग कंपनी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट नंबर ई-225, फेज-VIII, ई-इंटरट्रियल एरिया, फोल्क वॉलंड, मोहाली, हरियाणा - 0172-4313300, ई-मेल: rmcshra@activesourcing.org, सीईओ: L51311PB2002PLC034422

सूचना

एलएनए द्वारा सूचित किया जाता है कि एक्टिव क्लोथिंग कंपनी लिमिटेड के सदस्यों की 22वीं वार्षिक आम बैठक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट नंबर ई-225, फेज-VIII, ई-इंटरट्रियल एरिया, फोल्क वॉलंड, मोहाली, हरियाणा, 18 सितंबर, 2024 को अपराह्न 3:00 बजे आयोजित की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें एजीएम की सूचना के साथ-साथ उपस्थिति पत्रों और प्रॉक्सि सेवा शामिल है, कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है और उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेज दिया गया है जिन्होंने ईमेल आईडी कंपनी या डिजिटल आईडी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत हैं और उसी की भौतिक प्रतियां उन सदस्यों को अनुपस्थित के माध्यम से भेजी गई हैं जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं कराया है। वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण रविवार 25 अगस्त, 2024 को पूरा हो गया है।

एलएनए यह भी सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 91 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के लागू प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण बर्हिगें एजीएम और वार्षिक बही सभामुक्त के उद्देश्यार्थ 11 सितंबर, 2024 से 17 सितंबर, 2024 (दोनों दिन सामूहिक) तक बंद रहेंगी। रिपोर्ट ई-वोटिंग: सभाम-सभा पर संशोधितानुसार कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियामकाली 2014 के नियम 20 और सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमवली, 2015 के नियम 44 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसार, कंपनी ने अपने सदस्यों को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान की है, ताकि वे विंगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम आई-वोट के माध्यम से एजीएम बुलने की सूचना में निर्धारित साधारण और विशेष ग्यसाओं पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में वोट करने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकें। अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत दिए जाने वाले विवरण इस प्रकार हैं: -

1. रिपोर्ट ई-वोटिंग अवधि रविवार, 15 सितंबर, 2024 (प्रातःकाल 8:00 बजे) आरंभ होगी और यह मंगलवार, 17 सितंबर, 2024 (सायंकाळ 6:00 बजे) समाप्त होगी। इस अवधि के बाद मतदान के लिए ई-वोटिंग ऑनलाइन विंगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निष्पत्ति कर दिया जाएगा और उक्त तिथि और समय के बाद ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
2. एक व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या एनएसएलए/सीडीएसएल द्वारा बनाए गए जानकारी वाले रजिस्टर में कट ऑफ तिथि अर्थात् मंगलवार 10 सितंबर, 2024 के अनुसार प्रतिष्ठ है, केवल बही दूरस्थ ई-वोटिंग के साथ-साथ एजीएम में मतदान की सुविधा का प्रयोग करने का हकदार होगा।
3. इष्टत आईडी 324 है।
4. सदस्यों के वोटिंग अधिकार कट ऑफ तिथि के अनुसार कंपनी की प्रवक्त इक्विटी शेयर पूंजी के उनसे शेयरों के अनुपात में होंगे।
5. जिन सदस्यों ने दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, उनके लिए एजीएम के स्थल पर बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। यदि कोई सदस्य दोनों ही माध्यम से वोट करता है तो बैलेट के माध्यम से हुई वोटिंग को अंतिम माना जाएगा।
6. कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और सूचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और कट ऑफ तिथि को शेयर खरता है, वह सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की प्रति के लिए कंपनी के कंपनी सचिव को csso@activesourcing.org पर एक अनुप्रेषण भेज सकता है।
7. एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट अर्थात् www.activesourcing.org पर और वेबसाइट <https://vote.bigshareonline.com> पर उपलब्ध है।
8. कोई भी सदस्य ई-वोटिंग के जरिए वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी एजीएम में भाग ले सकता है लेकिन उसे बैलट में दोबारा वोट देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
9. अग्रवाल एजीएम में, जिन प्रस्तावों पर मतदान होगा है, उन पर चर्चा के अंत में, संवीक्षक की सहायता से उन सभी सदस्यों के लिए बैलेट पत्र के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की अनुमति देंगे, जो एजीएम में मौजूद हैं लेकिन जिन्होंने ई-वोटिंग सुविधा के जरिए अपना वोट नहीं डाला है।
10. ई-वोटिंग अवधि के समापन पर संवीक्षक कम से कम ऐसे दो गवाहों की उपस्थिति में वोटों को ब्लॉक करेंगे जो कंपनी में रोजगार नहीं करते हैं और पक्ष में और विपक्ष में अलग अलग वोटों का परिणाम, एजीएम के समापन से दो दिनों के भीतर घोषित किया जाएगा।
11. यदि शेयरधारकों / निवेशकों के पास ई-वोटिंग के बारे में कोई प्रश्न है, तो आप अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और आई-वोट ई-वोटिंग ऑनलाइन सहायक देख सकते हैं जो कि <https://vote.bigshareonline.com> के डाउनलोड अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है अथवा आप हमें ivote@bigshareonline.com पर ईमेल कर सकते हैं या हमें टि्वन नंबर पर कॉल कर सकते हैं: **1800 22 54 22**, कर्नाटक नंबर में, सदस्यगण किसी भी प्रश्न / जानकारी के लिये www.spolsolar.in पर कंपनी को एक ई-मेल भी लिख सकते हैं।

कृते एक्टिव क्लोथिंग कंपनी लिमिटेड

हरियाणा /

अन्यतः कौर बेदी

कंपनी सचिव

चंडीगढ़ संस्करण: बिजनेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक नंदन सिंह रावत द्वारा सी।ओ रेगस चंडीगढ़, हार्मनी लेवल 4, टावर-ए, गोदरेज इटर्निया प्लॉट नं. 70, इंटरट्रियल एरिया 1, चंडीगढ़-160002 से प्रकाशित एवं इम्प्रेस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, प्लॉट नं.-22, इंटरट्रियल एरिया, फेज-2, पंचकुला-134115, हरियाणा से मुद्रित

संपादक: कैलाश नौटियाल आरएनआईनं. CHAHIN/2008/24509 पाठक संपादक को lettershindi@bsmail.in पर संदेश भेज सकते हैं। टेलीफोन - 033-2210131/10221600 फैक्स - 033-22101599

सबस्क्रिप्शन और सर्कुलेशन के लिए संपर्क करें... सुश्री मानसी सिंह हेड, कंट्रोल रिलेशन्स बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, तीसरी और चौथी मंजिल, बिल्डिंग एच, पैरागन सेंटर, सेंचुरी मिल्स के सामने, पी भी मार्ग, मुंबई 400 013 ईमेल: subs_bs@bsmail.in या 57575 पर एसएमएस करें REACHBS कोई हवाई अधिभार नहीं